24-07-2024	राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री जे.डी. पाटीदार उपस्थित। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन साक्षी भुपेन्द्र असा.1 परीक्षण, प्रतिपरीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया। इसी प्रक्रम पर प्रकरण में आहत/फरियादी भुपेन्द्र द्वारा एक लिखित एवं हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पत्र दं.प्र.सं. की धारा 320(2) के अंतर्गत प्रस्तुत कर राजीनामा करने की अनुमति चाही है। आहत समंस से उपस्थित हुआ है, उसकी पहचान आवेदन पर चस्पा छायाचित्र से होती है। साथ ही उसकी पहचान अधिवक्ता श्री जे.डी. पाटीदार द्वारा की गई। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323/34, विकल्प में 325/34, 506 भाग दो के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप हैं, जो कि न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय है। फरियादी भुपेन्द्र शमन करने के लिये सक्षम है। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। फरियादी द्वारा राजीनामा बिना किसी डर, दबाव या लालच के स्वेच्छया किया जाना प्रकट किया गया है। अतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया	कुमेर हिमांशु सीताराम [signature]

जाकर राजीनामा के अलोक में अभियुक्त सीताराम को भा.द.सं. की धारा 294, 323 विकल्प में 325/34, 506 भाग दो के अपराध से तथा

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of parties or Pleaders

अभियुक्त हिमांशु को भा.द.सं. की धारा 294, 325 व 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति पत्र एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण इस प्रकरण में कभी भी अभिरक्षा में नहीं रहे हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा लकडी मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत विधिवत् नष्ट हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

प्रकरण का परिणाम नियमित आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण विधिवत् समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(प्रियंवदा शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
खरगोन जिला खरगोन म0प्र0